प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
देवरिया।

सेवा में,

प्रबन्धक
पी0डी0 एकेडमी,
करायल शुक्ल, बरहज, देवरिया।

पत्रांकः परि0 / मान्यता / 13928-13929 / 2019–20 दिनांकः 03 फरवरी 2020

विषयः–अशासकीय उ0प्रा0वि0 (कक्षा–नर्सरी से 8 तक) की स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मान्यता की नयी नियमावली के सन्दर्भ में निम्न प्राविधान है– **"प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नही होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।"**

उक्त के क्रम में आपके विद्यालय की जांच करायी गयी जांचोपरान्त, कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित न होने पर आपको कार्यालय द्वारा पूर्व में प्रदत्त अस्थायी मान्यता पत्रांक संख्या–परि0 / मान्यता / 13037–039 / 2017–18 दिनांक 30.12.2017 के क्रम में आपके विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालय के रूप में अधिकृत किया जाता है।

भवदीय

(ओम प्रकाश यादव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
देवरिया।

पृ0सं0: परि0 / मान्यता / / 2019–20 दिनांक वही।

प्रतिलिपिः– सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
देवरिया।

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, देवरिया।

पत्रांक परि0 / मान्यता /13037-039 /2017-18 दिनांक - 30 दिसम्बर 2017

सेवा मे,

प्रबन्धक,

पी0डी0एकेडमी, करायल शुक्ल, बरहज, देवरिया।

विषयः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन पत्र और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं **पी0डी0एकेडमी, करायल शुक्ल, बरहज, देवरिया** को दिनांक **30-12-2017** से दिनांक **29-12-2020** तक तीन वर्षो की अवधि के लिए कक्षा **नर्सरी** से कक्षा **08** तक अंग्रेजी माध्यम की अनन्तिम मान्यता का प्रदान करने की संसूचना देता हूँ :-

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किए जाने के अध्यधीन है:-

1. मान्यता की मजूरी विस्तारणीय नहीं है और यह किसी भी रूप में कक्षा 8 के बाद मान्यता / संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध 1) और निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2010 (उपबंध-2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा एक में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पडोस के कमजोर वर्गो और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा तीन में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धो का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।

i. प्रवेश दिये गये किसी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा, या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

ii. किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

iii. प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

iv. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

v. अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओ वाले विद्यार्थियो को प्रवेश दिया जाना है।

vi. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओ के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताए नहीं है, पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगे।

vii. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और

viii. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं –

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
कुल निर्मित क्षेत्र
क्रीड़ा–स्थल का क्षेत्रफल
कक्षाओं की संख्या
प्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भंडारागार के लिए कक्ष
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक् शौचालय
पेयजल सुविधा
मिड–डे–मिल पकाने के लिए रसोई
बाधारहित पहुँच
अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता

9. विद्यालय के परिसरो के भीतर या उसके बाहर विद्यालयों के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षाएं नही चलाई जाएंगी।

10. विद्यालयो भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम–1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यष्टि व्यक्तिओं के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउण्टेंन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किऐ जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या 126 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है तो जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धित शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यप्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।

16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।

17. सलग्न उपबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

18. किसी भी प्रकार का तथ्य गोपन प्रकाश में आता है तो दी गयी मान्यता बिना नोटिस के समाप्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है।

भवदीय

(उपेन्द्र कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
देवरिया।

पृ0सं0: परि0/मान्यता/ /2017–18/तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. सहायक शिक्षा निदेशक(बे0), सप्तम मण्डल, गोरखपुर
2. संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद–देवरिया

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
देवरिया।